न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 29/2019 राजस्व अपील

1. रघुवीर पुत्र भौणा जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी उप तहसील सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा तहसील जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय निर्णय दिनांक 17.07.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रघुवीर प्रकरण संख्या 974/2018 अन्तर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति : श्री विश्राम गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 15.07.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त प्रकरण की पूर्व में एक अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा में प्रस्तुत की गई थी जिस पर न्यायालय द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की गई थी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.02.2015 का निर्णय स्थगित किया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौके की जांच किये पुनः इसी पत्रावली पर अतिक्रमण मानते हुए वारंट जारी किया एवं साक्ष्य, सबूत का प्रार्थी अपीलान्ट को कोई अवसर नही दिया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम गावडी तहसील सिकराय स्थित आराजी भूमि खसरा नंबर 59 रकबा 0.40 है0 किस्म चरागाह भूमि पर संवत 2075 में अपीलान्ट रघुवीर पुत्र भौणा जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी तहसील सिकराय का पुनः रबी की फसल में काश्त किये जाने को अतिक्रमण मानते हुए न्यायालय अति0 जिला कलक्टर के आदेश के विपरीत जाकर उक्त अवैध आदेश दिनांक 17.07.2018 पारित कर सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर पुनः वारण्ट जारी कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 17.07.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय गैर कानूनी एवं नियमों के विरूद्व होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने चरागाह भूमि पर कोई

कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है। हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह पुनरावर्ती बिना मौका मुआयना किये बिना ही की गई है। जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.07.2018 को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित आराजी भूमि खसरा नंबर 59 रकबा 0.40 है0 किस्म चरागाह भूमि पर संवत 2075 में रबी की फसल में बाजरे की काश्त कर पुनः अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय दिनांक 17.07.2018 पारित किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा सम्वत 2074 रबी में भी उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया था। जिसे बेदखल कर दिया गया था, परन्तु अब पुनः अतिक्रमण किया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। प्रश्नगत आराजी राजकीय चरागाह भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 17.07.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुकदमा नम्बर 974/2018 उनवानी सरकार बनाम रघुवीर में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.07.2018 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official